

अंतिम डिप्टी मुकदमा इबादाई
(ओ. 20 रूत 6-7 जाखा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नेछवा

पीछासीन अधिकारी :- श्री राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)

रामपाल पुत्र तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बोदलासी तहसील नेछवा जिला सीकर
- वादी

बनाम

1. किशोर कुमार पुत्र रामदेवाराम
2. गणपति पत्नि तुलछाराम
3. मोहनराम पुत्र तुलछाराम
4. सोहनलाल पुत्र तुलछाराम
5. बनवारी पुत्र तुलछाराम
6. ज्याना पुत्री तुलछाराम
7. छोटी पत्नि तुलछाराम
8. संतोष पुत्री तुलछाराम
9. तिजू देवी पुत्री लिछमणराम
10. कैलाश पुत्र पतासी देवी पुत्री लिछमणराम
11. बबलू पुत्र पतासी देवी पुत्री लिछमणराम
12. बिड़दा पुत्र मेघा
13. छोटी पत्नि जगदीश पुत्र मेघा
14. रामस्वरूप पुत्र जगदीश
15. रामचन्द्र पुत्र जगदीश
16. परमेश्वरी पुत्री जगदीश
17. विमला पुत्री जगदीश
18. नरबदा पुत्री जगदीश
19. कमला पुत्री जगदीश
20. केशर देवी पत्नि रतनलाल
21. विनोद पुत्र रतनलाल
22. मनोहर पुत्र रतनलाल
23. बसन्ती पुत्री रतनलाल
24. मन्जू पुत्री रतनलाल
25. सन्तोष पुत्री रतनलाल
26. सावित्री पुत्री रतनलाल
27. कमला पुत्री पूर्णाराम
28. सावित्री पुत्री पूर्णाराम
29. सुमन पुत्री पूर्णाराम
30. सुबिता पुत्री पूर्णाराम
31. राधा पुत्री पूर्णाराम
32. शारदा पत्नि श्रवण कुमार दत्तक पुत्र पूर्णाराम
33. नवीन पुत्र श्रवण कुमार जरिए नाबालिग संरक्षिका माता शारदा पत्नि श्रवण कुमार
34. गणेश पुत्र श्रवण कुमार जरिए नाबालिग संरक्षिका माता शारदा पत्नि श्रवण कुमार
35. शांति देवी पुत्री लिछमणराम
36. सोहनी पुत्री लिछमणराम
37. स्टेट बैंक ऑफ बोकानेर एण्ड जयपुर शाखा रुल्याणी तहसील नेछवा जिला-सीकर राज०

समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम
बोदलासी तहसील नेछवा जिला-सीकर

जरिये शाखा प्रबंधक
38. पटवारी हल्का रुल्याणी तहसील नेछवा जिला सीकर

39. तहसीलदार नेछवा जिला-सीकर राज० जरिये भू-धारक राजस्थान सरकार

- प्रतिवादीगण


(Signature)

दावा बाबत बंटवारा अधिनियम 53 राज.का.अधिनियम 1955
मु0न0 105 / 2023

उपस्थिति - श्री किशोर सियाक (वादी)

दिनांक : 16.10.2024


तहसीलदार नेछवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव क्रमांक: मू0अ0/2024/1808 दिनांक 10.09.2024 के अनुसार वकील वादी की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। तहसीलदार नेछवा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
मीजान		मीजान	

यह डिक्री मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.10.2024 को जारी की गई।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)